उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-11/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.177-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(225)-2022

लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों पर एवं अधिसूचना संख्या-1207/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(210)-2021 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का अधिक्रमण करके एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक 30 जून,2017 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

1. स्तंभ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (तीन), (छह), (नौ) एवं (दस) में शब्द "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्द "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे;

2. स्तंभ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (सात) में, शब्द "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्द "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे;

3. स्तंभ (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (तीन), (छह), (सात), (नौ) एवं (दस) के समक्ष की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी ।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव